संख्या- 106/2020 / उ3902/1-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक // सितम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/140, दिनॉक 14-08-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-"मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 2,34,56,000.00 (रू0 दो करोड़ चौतीस लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करतेहुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया एवं आडिट आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्त व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्थाओं की होगी।

13- इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी- 283/2017, दिनॉक 11.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-4090/ 71-1-2017-जी-243/2017, दिनॉक 28.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14- प्रश्नगत उपकरणों के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके स्पेसिफिकेशन सक्षम स्तर से अनुमोदित हो तथा उपकरणों के क्रय हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध हो, बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही उपकरणों के क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे, उपकरण मद में पूर्व में स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

15- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित उपकरणों/एसेसिरीज आदि के लिए निविदा में अर्ह फर्म द्वारा इन्ही विशिष्टियों हेतु इससे कम दर पर कही आपूर्ति नहीं की गई है तथा प्राप्त दरें इन स्पेसिफिकेशन हेतु अन्य संस्थानों/मेडिकल कालेजों में हुई निविदा में प्राप्त दरों से अधिक नहीं है। इसका दायित्व संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

16- संलग्न तालिका में वर्णित उपकरणों का क्रय उन्हीं स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा, जिनका विवरण निविदा में किया गया है तथा जिस फर्म का न्यूनतम निविदा मूल्य प्राप्त हुआ है। तालिका में न्यूनतम निविदा मूल्य का उल्लेख कर दिया गया है। संबंधित उपकरण का क्रय न्यूनतम निविदा मूल्य वाले फर्म से किए जाने की कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

17- क्रय आय-व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है।

18- सीधे क्रय की अनुमति हेतु प्रस्तावित उपकरणों का समस्त क्रय निविदा हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत है। इसमें कुछ भी अन्यथा कोटेशन आदि पर आधारित नहीं है, जैसा कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनॉक 23.09.2008 में सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय सीमा के अनुसार है, जिसमें 1.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य है।

19- क्रय के लिए आवश्यक मात्रा के टुकड़े-टुकड़े करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

20- संबंधित वस्तु/सामग्री उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किए गए किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है।

21- प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन्स का उपकरण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश/डी0जी0एस0एन0डी0 भारत सरकार के दर अनुबन्ध में उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयॉ नहीं बनाती है।

22- प्रश्नगत उपकरण/सामग्री के सीधे क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट/अनुदान उपलब्ध है तथा क्रय की कुल धनराशि इस हेतु आवंटित बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

23- क्रय की जाने वाली वस्तुओं की दर बाजार के वर्तमान दरों के अनुसार है।

24- क्रय की जाने वाली वस्तु/उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गयी वस्तु/सामग्री उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड क्वालिटी) की है तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति करती है तथा जॉच में भी उपयुक्त पायी गयी है। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।

25- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ सुनिश्चित करेंगे कि क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26- प्रश्नगत क्रय प्रक्रिया में शासनादेश दिनांक 3.2.2011 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अपेंडिक्स-19 के प्रस्तर-31 में निर्दिष्ट व्यवस्था का अनुसरण/विनिश्चय करते हुये निविदा में प्राप्त दरों का परीक्षण/निगोशिएशन किया गया है।

27- क्रय की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निमित्त यथावश्यकता आपूर्ति विदेशी प्रतिष्ठान के अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि से प्राप्त करने हेतु सीधे क्रय अथवा साख-पत्र (एल0सी0)/अपरिवर्तनीय साख पत्र (आई0एल0सी0) भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

28- सी0एम0सी0 सहित अनुमोदित दर के अनुसार वारण्टी अवधि समाप्त होने के बाद सी0एम0सी0 अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए।

29- उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

30- उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-53-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर--26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संजग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 106/2020/3392 (1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–106/2020 /3392 /71–1–2020–जी–133/2018टी0सी0–3

दिनॉक 11 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर

S. N.	Name of the Department	Name of Equipment	Required quantity of equipment	Appoximate rate per unit inclusion of taxes and 5 year warranty	Total cost
				Rs.	Rs.
1	Blood Bank	Centrifuge	2	25000	50000
		Laboratary refrigerator with temp. display	2	4000	8000
		Compound microscope with oil immession	1	4000	4000
2	Micro-biology	Balance Electronic digital	1	4000	4000
		Bio safety cabinet-Type A	2	600000	1200000
		Centrifuge	2	25000	50000
		Distilled water plant	1	50000	50000
		Lab Refrigerator (minimum 400 litres)	2	25000	50000
		Microscope with universal condenser containing oil immersion, Bright field, phase	1	100000	100000
		Automated Blood Culture system	1	100000	100000
		Fluorescent Microscope	1	100000	100000
		Micropipettes-Multi channel & single channel	2	100000	200000
3	Necessary Equipment for BSL-2 Lab	Deep freeze-20 Deep freeze	1	100000	100000
		RNA extractor (96 well automated)	1	5000000	5000000
		Thermo mixture	1	200000	200000
		Laboratary Incubator (455mm 605mm)20c to 45c	1	10000	10000
		Lab Fumigation Machine	2	20000	40000
		Pass box system (20,24,24)	4	60000	240000
		Spin win (0.2ml tubes)	1	100000	100000
		Electronic pipette controller	2	15000	30000
		Refrigerator (400 liter)	2	25000	50000
		Mille q water purification system	1	350000	350000
		Dry bath	1	25000	25000
		Minispin (8 well strip)	1	100000	100000
		Digital Weighing Balance	1	1500	1500
		Water Bath	1	7000	7000
		digital pH meter	1	2000	2000
		1-5 ml pipette aid	2	300000	300000
		100 - 1000 micro lit.	4		
		20- 200 micro liter	4		
		20 micro liter	4		
		0.5 - 10 micro liter	4		
4	Surgery Ward	Digital/Electronic BP Apratus	8	2000	16000

		Weighing Machine	8	1000	8000	
5	Surgery OT	CC Camera for Student demonstration for O.T.	1	25000	25000	
		Electro Surgical cautry unit	2	50000	100000	
		Peadiatric surgical instruments set	2	100000	200000	
		Vascular set	2	50000	100000	
		Assroted open and laparoscopic stapling devices	2	100000	200000	
		PCNL Set with Nephroscope	1	250000	250000	
		Mayo vein striper 4.8mm/39cm	1	5000	5000	
6	Radio Diagnosis	600 ma-* X-Ray Machine	1	1400000	1400000	
		100 ma* Mobile X-Ray machine	1	200000	200000	
		60 ma*- mobile X-Ray Machine	2	150000	300000	
		Fluroscopy-IITV	1	2800000	2800000	
7	Pathology	Automatic tissue processor (Leica company)	1	600000	600000	
		Microtome (leica company)	1	200000	200000	
		Hot Plate	2	40000	80000	
		Microscope (Binocular) Olympus CH i20	10	40000	400000	
		Bniocular Microscope olympus	30	15000	450000	
		Graossing table for histopathology	1	300000	300000	
8	Pharma-cology	Metered dose inhaler	10	400	4000	
		Spacer	10	400	4000	
		Rotahalers	10	400	4000	
		Nasal sprays	10	150	1500	
		Transdermal patches	10	150	1500	
		Isulin pen	10	1000	10000	
		CAL sofware (for 15 users/nodes)	1	200000	200000	
		Crtical flicker fusion apparatus	3	20000	60000	
		Pupillometer	3	20000	60000	
9	Physiology	Haemoglobinometer Sahli's or Helige (with space)	40	2000	80000	
		Haemocytometer	30	2000	60000	
		Sphygmomanometer (Digital) (mercury based instruments to be replaced with sutable alternatives)	30	2000	60000	
		Spirometer, Ordinary	8	12500	100000	
		Clinical Thermometer (Mercury based instruments to be replaced with suitable alternatives)	20	5000	100000	
		Compass Aesthesiometer	20	1000	20000	
		Thermo-aesthesiometer	20	2000	40000	
		Knee hammer	20	5000	100000	
		Stethograph	4	2000	8000	
		Tunning fork (256 Hz)	12	300	3600	
10	Anesthesia	HFNC-Small Size	2	30000	60000	
		HFNC-medium size	2	30000	60000	
		HFNC-Large Size	2	30000	60000	

		Manikin for intubation	1	200000	200000	
11	Gynae Department	Small Artery	20	280	5600	
		Large Artery	20	500	10000	
		All's	20	330	6600	
		Clamps	20	500	10000	
		Needle Holder	5	900	4500	
		Eye Needle	4	10	40	
		Blade with handle	6	185	1110	
		Scissiors	10	700	7000	
		Forceps (thoothed n non thoothed)	5	250	1250	
		Valsellum	4	10	40	
		Slims	8	20	160	
12	Medicine	Opthalmoscope	8	10000	80000	
		Haemocytoneter	4	1500	6000	
		Light Microscope	2	7000	14000	
		Haemolgobinometer	4	1000	4000	
		Liver Biopsy Needles (Disposable)	20	2500	50000	
		Uronometer	2	300	600	
		Kidney Biopsy Needles (disposable)	20	2500	50000	
		X-Ray Viewing Box	8	2500	20000	
		Practoscope	6	500	3000	
		Laryngoscope	7	2000	14000	
		Portable Suction Machine	8	7000	56000	
		Infusion Pump	10	25000	250000	
		Weighing Scale	5	1500	7500	
13	TB & Chest	Peak Flow meter	6	2000	12000	
		Intercostal Drainge Facility	5	7500	37500	
		Pleural Biopsy Needles	1	3000	3000	
		Pulse oximeter	5	3000	15000	
		BP Instrument (Mercury based instruments to be replaced with suitable alternatives	5	5000	25000	
		Weighing Scale	2	1500	3000	
		Rigid Bronchosope	1	800000	800000	
		Fiber optic Brochoscope	1	1000000	1000000	
		Nebulizers	4	3000	12000	
14	Peadiatric	Laryngoscope infant 2	1	3500	3500	
		laryngoscope children 2	1	5000	5000	
		Digitel Weighing machine infant 2	2	5000	10000	
		Digitel Weighing machine child 2	2	3000	6000	
		Digitel weighing machine neonates	2	5000	10000	
		Infantometer	3	3000	9000	
		Stadiometer	3	2500	7500	
		X-Ray View Box	3	6000	18000	
		Glucometer	2	3000	6000	
		CPAP machine	2	250000	500000	
		mechanical Ventilator Neonatal	1	2300000	2300000	

		Radiant Warmer 8	4	70000	280000
		LED Phototherapy unit 6	2	80000	160000
		Opthalmoscope	1	10000	10000
		Double surface phototherapy unit 2	3	70000	210000
15	Psychiatry	Alcohal Breath Analyzer	1	10000	10000
			701		23456000

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव